



2026:AHC: 30346-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक अपील (दोषपूर्ण) अंतर्गत धारा 413 बीएनएसएस संख्या- 23/2026

पद्माकर सिंह

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलकर्ता(गण) के अधिवक्ता	: दिलीप कुमार सिंह
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता	: शासकाय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-43

माननीय न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. अजय कुमार-II

वर्तमान आपराधिक अपील अपर सत्र न्यायाधीश / त्वरित न्यायालय - I, चंदौली द्वारा सत्र विचारण संख्या - 438 वर्ष 2022 (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम प्रवीण कुमार व अन्य) में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 09.04.2025 के विरुद्ध दायर किया गया है, जो मुकदमा अपराध संख्या - 83 वर्ष 2021 से उत्पन्न हुआ है और धारा 498ए, 304बी भा.द.सं. तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 और वैकल्पिक रूप में धारा 302 भा.द.सं. के अंतर्गत पंजीकृत है, जिसके द्वारा विपक्षी संख्या 2 से 4 को दोषमुक्त कर दिया गया है।

अपील 210 दिनों के विलंब से दायर बताई गई है।

अपील दायर करने में हुई देरी को स्पष्ट करने वाले अभिकथन शपथ पत्र के प्रस्तर संख्या 3 और 4 में निहित हैं, जिन्हें नीचे पुनरुत्पादित किया गया है: -

"3. यह कि अपीलार्थी/ सूचनादाता एक वृद्ध व्यक्ति है और संबंधित न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को दोषमुक्त किए जाने के बाद, अपीलार्थी अवसाद में चला गया था और कुछ समय बीतने के बाद जब वह ठीक महसूस कर रहा था, उसने अपने अधिवक्ता से संपर्क किया और अपीलार्थी के अधिवक्ता ने उसे दिसंबर 2025 के पहले सप्ताह में फोटो सत्यापन की तैयारी के लिए बुलाया और उसने कहा कि वह बुढ़ापे और सर्दी के मौसम के कारण यात्रा करने में सक्षम नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



तत्पश्चात् किसी तरह उसने अपने चचेरे भाई / शपथकर्ता का प्रबंध किया, उसके बाद उसने उसे इलाहाबाद भेजा।

4. यह कि उसके बाद शपथकर्ता 17.12.2025 को इलाहाबाद आया और वर्तमान अपील की तैयारी के लिए अपने अधिवक्ता से संपर्क किया और उसी दिन अधिवक्ता के लिपिक उसे फोटो सत्यापन केंद्र ले गए और उसका फोटो सत्यापन तैयार कराया, लेकिन वर्तमान अपील दायर करने के लिए उसके पास कुछ प्रासंगिक कागजात नहीं थे और साथ ही शीतकालीन अवकाश के कारण कुछ देरी हुई है, और आवश्यक कागजात एकत्र करने के बाद वह 23.01.2026 को फिर से इलाहाबाद आया। वर्तमान अपील दायर करने में हुई देरी, अपीलार्थी की ओर से जानबूझकर या साशय नहीं है, इसलिए न्याय के हित में यह उचित है कि यह माननीय न्यायालय वर्तमान अपील दायर करने में यदि कोई देरी है, तो उसे क्षमा करने की कृपा करे, इसे समय के भीतर माने, ताकि न्याय हो सके।"

यह प्रत्यक्ष है कि शपथ पत्र अपील दायर करने में हुई दिन-प्रतिदिन की देरी का संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं देता है।

हमने विचारण न्यायालय के निर्णय का भी परीक्षण किया है, जो यह दर्शाता है कि अभियोजन अपना वाद उचित संदेह से परे सिद्ध करने में सक्षम नहीं था, जैसा कि धारा 498ए, 304बी भा.द.सं. और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 और वैकल्पिक धारा 302 भा.द.सं. के अंतर्गत पंजीकृत सत्र विचारण संख्या - 438 वर्ष 2022 में दावा किया गया था।

प्रथम सूचनादाता का यह दावा कि उसकी पुत्री की हत्या विपक्षी संख्या 2, 3 और 4 द्वारा की गई थी, जो क्रमशः मृतक के पति, ससुर और सास हैं, स्वयं अभियोजन साक्षियों द्वारा समर्थित नहीं था। पी.डब्ल्यू.-3, जो मृतक की माँ है, ने अभियोजन पक्ष के वाद का समर्थन नहीं किया और अपनी गवाही में कहा कि मृतक के ससुराल वालों द्वारा दहेज की कोई मांग नहीं की गई थी और मृतक को दहेज के लिए कभी भी किसी क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार नहीं बनाया गया था। अपनी गवाही में, साक्षी ने कहा कि मृतक ने साक्षी को बताया था कि उसके ससुराल वाले ऋण के रूप में कुछ पैसे मांग रहे थे, लेकिन दहेज की कोई मांग नहीं की गई थी। अन्य अभियोजन साक्षियों, जिनमें पी.डब्ल्यू.-2, पी.डब्ल्यू.-4 और पी.डब्ल्यू.-5 शामिल थे, उन्होंने भी अभियोजन का समर्थन नहीं किया और कहा कि मृतक और उसके पति के बीच वैवाहिक संबंध सौहार्दपूर्ण थे और

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दहेज की किसी भी मांग के संबंध में मृतक द्वारा उनसे कोई शिकायत नहीं की गई थी। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया है कि मृतक के पति ने ही प्रथम सूचनादाता को सूचित किया था कि मृतक ने आत्महत्या कर लिया है और इसके अलावा, मृतक, आंतों के तपेदिक के लिए एक स्त्री रोग विशेषज्ञ के द्वारा उपचाराधीन थी और अवसाद के लिए भी उसका इलाज चल रहा था। मृतक के ससुराल वालों द्वारा नियुक्त संबंधित चिकित्सक को वाद में बचाव साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर भी संज्ञान लिया है कि मृतक के शरीर पर उसकी गर्दन पर लिगेचर मार्क के अलावा कोई चोट नहीं था, जो आत्महत्या का संकेत देता है। उपरोक्त सभी साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, विचारण न्यायालय ने अभियुक्तों / विपक्षी संख्या 2 से 4 को यह धारित करते हुए अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन पक्ष अपना वाद उचित संदेह से परे सिद्ध करने में विफल रहा था। प्रथम दृष्टया, हमें विचारण न्यायालय के निर्णय में कोई विकृति नहीं मिला है। हम निर्णय के और अधिक विवरण में नहीं जा रहे हैं क्योंकि, जैसा कि पहले नोट किया गया है, अपील दायर करने में हुई दिन-प्रतिदिन की देरी को संतोषजनक ढंग से स्पष्ट नहीं किया गया है।

विलंब क्षमा आवेदन **खारिज** किया जाता है। फलस्वरूप, अपील **अस्वीकार** की जाती है।

वर्तमान निर्णय की एक प्रति विचारण न्यायालय को प्रमाणित करने के बाद पत्रावली को अभिलेखागार में संचित किया जाए।

11 फरवरी, 2026

सत्यम

(न्यायमूर्ति डॉ. अजय कुमार-II) (न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय)